

# वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं०.....309...../न० अ० वि०

दिनांक 23-12-17

### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री राजेश सिंह, रमेश सिंह, मुकेश सिंह


पंकज सिंह पुत्राव एवं शिव शंकर न श्रीमती कुसुम चन्द्र पाणी स्व० हरिनाथ सिंह वर्ग

पिता/पति का नाम श्री..... आराजी संख्या 3334/36/48 मौजा पहड़िया

वार्ड सारनाथ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.....20



राजेश  
जो नक्शे अधिकारी  
वाराणसी विकास प्राधिकरण  
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण सं यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।


5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें:-

1. भूखण्ड पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से कुल कुल 23 पेड़ लगाना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार पक्ष को स्थल पर कराना होगा।
3. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावना के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराना होगा।
5. निर्माणकर्ता द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड परिसर के भीतर ही रखी जायेगी तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति पक्ष को निर्माणाधीन स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर किसी भी जॉच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
7. पक्ष को शपथ पत्र दिनांक 15.12.2017 का निर्देशानुसार अनुपालन करना होगा।
8. पक्ष को सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. भविष्य में विभाग द्वारा कोई भी देयता निकलती है तो पक्ष द्वारा देय होगा।
10. कूड़ा संचयन का पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराना होगा।
11. भू-स्वामित्व एवं रास्ते सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में एवं अन्य कोई तथ्य उजागर होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा और ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
12. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त अनापत्ति प्राप्त होने पर अनापत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से कराना होगा।
13. पक्ष एवं आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा। अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
14. बेसमेन्ट में वेंटिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मानचित्र में दर्शित है। इसको सुनिश्चित करना होगा तथा बेसमेन्ट जो विल्डिंग लाइन से अधिक पर बनी है, उस स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।
15. कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग विजिटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
16. स्थल पर पक्ष द्वारा मैकेनाइज्ड पार्किंग ही बनाया जायेगा तथा उसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी।
17. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है। पक्ष मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
18. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

  
20/12/17  
JB

  
20/12/17  
AF

  
जॉनल अधिकारी